संख्या : / /जी0एस0/शिक्षा/A11-136(1)/2020

प्रेषक,

बृजेश कुमार सन्त
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड **देहरादून : दिनांक 10 जुलाई , 2020**

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्र संख्याः 34/ SDSUV/VC-S/ दिनांक 24–06–2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री राम इन्स्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेन्ट, निरंजनपुर, देहरादून को बी0एच0एम0 पाठ्यक्रम में सत्र 2019–20 हेतु 105 सीटों की अस्थाई सम्बद्धता का प्रस्ताव कुलपति की संस्तुति के साथ उपलब्ध कराया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (यथा संशोधित) के अध्याय–06 की धारा–33 (1) के अन्तर्गत निम्न संस्थान/महाविद्यालय को उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता पर मा0 कुलाधिपति द्वारा पूर्व स्वीकृति/पूर्वानुमोदन निम्नानुसार उपबन्धों के साथ छात्रहित में प्रदान की गई है कि :–

क्र0 सं0	महाविद्यालय/संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुति के अनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	श्री राम इन्स्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेन्ट, निरंजनपुर, देहरादून	बी0एच0एम0	105 सीट	सत्र 2019–20 हेतु

(i) विश्वविद्यालय कार्यपरिषद सत्र 2019–20 की निरीक्षण मण्ड़ल की संस्तुति में उल्लिखित सभी कमियों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में कार्रवाई करते हुए, विश्वविद्यालय कार्यपरिषद यू0जी0सी0 के विनियमों व नियामक संस्था के अनुसार सम्पूर्ण मानक पूर्ण होने की दशा में ही सत्र 2019–20 की सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करेगी व तत्सम्बन्धी कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदया के अवगतार्थ भी उपलब्ध करायेगी।

(ii) संस्थान को 105 सीटों की सम्बद्धता केवल सत्र 2019–20 में छात्रहित में अपवाद स्वरूप एक बार के लिए मान्य होगी और इसे भविष्य के लिए दृष्टान्त नहीं माना जायेगा।

(iii) संस्थान द्वारा आगामी सत्र 2020–21 में स्वीकृत सीटों (60) पर ही छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। यदि स्वीकृत सीटों से एक भी प्रवेश संस्थान द्वारा अधिक दिया जाता है तो सभी छात्रों की परीक्षा सम्पादित नहीं की जायेगी तथा संस्थान की सम्बद्धता समाप्त की जायेगी और इस सम्बन्ध में संस्थान का कोई भी न्यायिक वाद मान्य नहीं होगा, जिसे संस्थान द्वारा स्वयं भी अपने पत्र दिनांक 05.06.2020 में लिखित रूप में दिया गया है।

3– तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 683 (1)/जी0एस0/शिक्षा/ A11-136(1) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य, सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
कुलाधिपति के संयुक्त सचिव।